राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन , ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ , जयपुर–302005

(दूरभाष नं0:–0141–2740837, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल:–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः– एफ.4(ई)(आर–184)/अलेसे–ाा/458 दिनांकः– 19/09/25

आख्यात्मक आदेश

विभागीय आदेश संख्या 371/2025–26 दिनांक 07.08.2025 के द्वारा श्री रविशंकर जोगी, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–ाा (लिंक नं. 11194) का ''आदेशों की प्रतीक्षा से'' नवीन पदस्थापन, कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फलौदी में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–ाा के रिक्त पद पर किया गया था।

श्री रविशंकर जोगी, सलेअ–ाा ने प्रार्थना पत्र दिनांक 01.09.2025 (निदेशालय में प्राप्ति दिनांक 04.09.2025) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रस्तुत एस. बी. सिविल रिट पिटीसन नं. 15577/2025, रविशंकर जोगी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.08.2025 की प्रति प्रस्तुत कर विभागीय आदेश दिनांक 07.08.2025 पर ''स्थगन'' की सूचना से अवगत कराते हुए बीकानेर जिले में किसी भी नजदीकी स्थान पर पदस्थापन करने हेतु निवेदन किया गया है।

माननीय न्यायालय दिनांक 28.08.2025 में पारित निर्णय निम्नानुसार हैः–

Petitioner is suffering from a permanent disability, the instant writ petition is disposed of with a direction to the respondents to sympathetically consider the representation of the petitioner if within a period of ten days from today. The representation be decided positively within a period of three weeks thereafter keeping into consideration the circular dated 18.07.2022.

Till the representation of the petitioner is decided, effect and operation of the order dated 07.08.2025 shall remain stayed. Stay petition also stands disposed of.

अतः माननीय न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय एवं प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 18.07.2022 की रोशनी में श्री रविशंकर जोगी, सलेअ–ाा का विभागीय आदेश संख्या 371/2025–26 दिनांक 07.08.2025 के द्वारा किए गए पदस्थापन आदेश को निरस्त करते हुए ''आदेशों की प्रतीक्षा से'' कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवायें, पूगल, जिला बीकानेर में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–ाा के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापन किया जाता है। अतः श्री जोगी को तत्काल प्रभाव से आज दिनांक 19.09.2025 को मध्याह्न पश्चात आदेशों की प्रतीक्षा से कार्यालय निदेशालय कोष एवं लेखा जयपुर से कार्यमुक्त कर नवीन पदस्थापन कार्यालय में तुरन्त प्रभाव से कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पेदन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.4(ई)(आर–184)/अलेसे–ाा/458 दिनांकः– 19/09/25

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–</u>

1. संयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व), वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फलौदी।
3. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, गृह विभाग, बीकानेर / सी.डी.पी.ओ., समेकित बाल विकास सेवायें, पूगल, जिला-बीकानेर
4. श्री रविशंकर जोगी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–ाा, कार्यालय हाजा।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. उप निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
7. पदस्थापन सीट/निजि/रक्षित पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–ाा/ााा)

D:\Neha\sas-ii\Surendra Sir\Order.docx